संख्याः 29/2022/001/684/23-12-2022-1263(भूमि)/2013

प्रेषकः

गिरिजेश कुमार त्यागी
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-12 लखनऊ, दिनांक 17 जून, 2022

विषय-वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक 5054 04 337 06 00 60 इण्डो-नेपाल बार्डर योजनान्तर्गत 04 चालू कार्यों के मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनावंटन प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता(मु0-1), लोक निर्माण विभाग लखनऊ के पत्र संख्या-95/सीई-एचक्यू-1/आई0एन0बी0/2022-23,दिनांक 24.05.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में इण्डो-नेपाल बार्डर योजनान्तर्गत अग्रतालिका में जनपद बहराईच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर एवं महराजगंज के अंकित 04 चालू कार्यों हेतु निम्नानुसार रू0 1475.00 लाख (रूपये चौदह करोड़ पचहत्तर लाख मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल एतदद्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्य का नाम	खण्ड का नाम	उ0प्र0 शासन का पत्रांक	संशोधित स्वीकृत लागत	01-04-22 को अवशेष धनराशि प्रावैधिक स्वीकृति के सापेक्ष	वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु मांग (+)	वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु प्रस्तावित आवंटन
1	3	2	4	5	6	7	8
1	इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग परियोजना के अन्तर्गत रूपईडीहा मुंशीपुरवा से बी0ओ0पी0 समतलिया तक (20.363 कि.मी., वास्तविक लं0 17.960 कि.मी.) तथा लम्बी फारेस्ट से बलई गांव से चितलहवा तक (16.800 किमी.) का आपसी समझौते के आधार पर भूमि अधिग्रहण का कार्य। (Land Acquisition) (61388)	नि0ख0-3, (इण्डो नेपाल बार्डर) बहराइच	1682/23-12-2013-1291/2013 (आर), दिनांक 22.11. 2013 एवं 34/18/726/23-12-18-1263(भूमि) /13 दि0 25-05-18	2508.180	1028.470	(+) 40.000	40.000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

2	इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग परियोजना के अन्तर्गत ककरदरी से तरसोमा, भरथा से गुज्जरगौरी (लं0 13.00 किमी.) जमुनहा ककरदरी भाग-ए (लं0 8.720 किमी0) तथा जमुनहा ककरदरी भाग-बी (लं0 7.235 किमी0) का आपसी समझौते के आधार पर भूमि अधिग्रहण का कार्य। (Land Acquisition) (61389)	नि0ख0-1, (इण्डो नेपाल बार्डर) श्रावस्ती (मु0-भिनगा)	1683/23-12-2013-1263 (भू0अ0)/ 2013 दिनांक 22.11. 2013 एवं 34/18/726/23-12-18-1263(भूमि) /13 दि0 25-05-18	2148.270	985.180	(+) 25.000	25.000
3	इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग परियोजना के अन्तर्गत मलगहिया- हरवंशपुर मार्ग का भाग के निर्माण कार्य (अठहवां घाट से पकरिहवा वाया भुसौला, हरवंशपुर,करामनी, रामनगर, ककहरवा, धनबढ़वा) के भूमि अधिग्रहण का कार्य	नि0ख0-2, (इण्डो नेपाल बार्डर) सिद्धार्थनगर	1682/23-12-2013-1291/2013 (आर), दिनांक 22.11. 2013 एवं 34/18/726/23-12-18-1263(भूमि) /13 दि0 25-05-18	19986.180	2578.060	(+)600.000	600.000
4	इण्डो-नेपाल बार्डर मार्ग परियोजना के अन्तर्गत खैराघाट से झुलनीपुर पतलावाँ मार्ग के निर्माण कार्य हेतु भूमि अर्जन का कार्य। (Land Acquisition) (61392)	नि0ख0-1, (इण्डो नेपाल बार्डर) महराजगंज	1681/23-12-2013-1341/2013 (आर), दिनांक 22.11. 2013 एवं 34/18/726/23-12-18-1263(भूमि) /13 दि0 25-05-18	18009.450	3148.940	(+) 810.000	810.000
	योग			**42652.08**	**7740.65**	**1475.000**	**1475.000**

(रू0 चौदह करोड़ पचहत्तर लाख मात्र)

(1) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2) कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/मुख्य अभियन्ता, इण्डो-नेपाल बार्डर, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ की होगी। परियोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश के अनुरूप किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(5) प्रस्तावित मात्राओ को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पुर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(6) सेंटेज चार्ज/ अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/ आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही भुगतान/ जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 11 नवम्बर, 2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्षक में ट्रान्सफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा। लेखाशीर्षक "1054-सड़क तथा सेतु-800-अन्य प्राप्तियां-01 प्रतिशतता प्रभारों की वसूली" में जमा की जायेगी।

(7) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(8) भारत सरकार द्वारा लगायी गयी शर्तो का पूर्णतयः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) समस्त आवश्यक वैधानिक एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स नियमानुसार सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(10) भूमि अध्याप्ति न्यूनतम आवश्यकतानुसार सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर कार्यदायी संस्था द्वारा अपने उत्तरदायित्व पर किया जायेगा।

(11) उपरोक्त कार्यों के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशो में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष/प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

2- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य -06-इण्डो-नेपाल बार्डर पर प्रस्तावित मार्ग के भूमि अध्याप्ति हेतु व्यवस्था-60-भूमि क्रय मद के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- ये आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून, 2022 में प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार त्यागी)
विशेष सचिव

सं0-29/2022/001/684(1)/23-12-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1- निजी सचिव, मा0 उपमुख्यमंत्री जी/मा0 लोक निर्माण मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग,उ0प्र0 शासन।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- प्रमुख अभियन्ता (ग्रामीण सड़क), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता, इण्डो-नेपाल बार्डर, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
9- वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
11- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-8
12- लोक निर्माण अनु0-10
13- डाटा सेल, विकास भवन सचिवालय, उत्तर प्रदेश शासन।
14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दुर्गा सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in